TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONALCAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF TRADE &TAXES
VYAPAR BHAWAN : I.P.ESTATE: NEW DELHI -110 002

No.F.5(54)/Policy/VAT/2013/PF/491 – 502 Dated: 24/03/2021

NOTIFICATION

Whereas, the Ministry of External Affairs, Government of India, in accordance with the principle of reciprocity has requested the government of National Capital Territory of Delhi to grant *facility of VAT exemption/refund to the Embassy of the Republic of Chad in New Delhi, on the* payment of all the taxable goods for official use and for personal use of its diplomats vide their letter NO.-D-II/451/12(1)/2020 Dated-14th October 2020.

2. And, whereas, I, Ankur Garg, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule of the said Act namely:

AMENDMENTS

4. In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in Entry No.1, in Part-A- List of Embassies, after SI. No. A-149, the following shall be inserted, namely:-

"

Sl. No.	Registration No.	Name of the Embassy
A-150	07297226759	Republic of Chad

"

5. The refund of Value Added Tax will be subject to the condition that the minimum invoice value for each invoice would be Rs. 5000/-.

This notification shall come into force with effect from 14-10-2020.

(ANKUR GARG)
Commissioner, Value Added Tax

1754/IT 25/03/2021

No.F.5(54)/Policy/VAT/2013/PF/ 491 -- 502 Dated : 24/03/2021

1. P.S. to Hon'ble Lieutenant Governor ,Delhi , Rajniwas, Delhi-54
2. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi

MB PA2 26/03/2021
SA-II

Scanned by TapScanner

3. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi with one spare copy for publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
4. All Special / Addl./ Joint Commissioners, Department of Trade &Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. Additional Commissioner (PR), Department of Trade &Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Protocol Officer-II, M/o External Affairs, Protocol-II Section, Room No.1095, B-Ving, Jawahar Lal Nehru Bhawan, Janpath, New Delhi.
7. Registrar, Sales Tax Appellate Tribunal, Department of Trade &Taxes, Vyapar Bhawan, I.P.Estate, New Delhi.
8. President, Sales Tax Bar Association (Regd.) Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. System Analyst, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
10. P.S. to the Commissioner, VAT, Department of Trade &Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate New Delhi.
11. email ID gadegazette.delhi.gov.in (copy on Hindi and English scanned and in word form)
12. Guard File.

(VIVEK MITTAL)
Asstt.Commissioner(Policy)

Scanned by TapScanner

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग
व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं.फा. 5(54)/पॉलिसी/वैट/2013/पार्ट फा./491-502 दिनांकः 24/03/2021

अधिसूचना

चूंकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.फा. डी–II/451/12(1)/2020 दिनांकः 14.10.2020 के द्वारा पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरुप नई दिल्ली मे चाड गणराज्य के दूतावास के राजनयिकों के द्वारा सभी कर योग्य वस्तुओं की अधिकारिक एव निजी प्रयोग हेतु खरीद के पक्ष में, वैट रिफंड की छूट/सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया है।

2. और चूंकि मैं, अंकुर गर्ग, आयुक्त, मूल्य सवंर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूं कि ऐसा करना जन साधरण के हित मे समीचीन है।

3. अब इसलिए, दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूं, अर्थातः–

संशोधन

4. दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में, प्रविष्टि संख्या 1 के भाग–क दूतावासों की सूची में कम संख्या ए–149, के उपरांत नई उप–प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

कम संख्या	पंजीकरण संख्या	गणराज्य का नाम
ए–150	07297226759	चाड गणराज्य

5. मूल्य सवंर्धित कर की वापसी इस शर्त के अधीन होगी कि प्रत्येक चालान का न्यूनतम चालान मूल्य रुपये 5000/– होगा।

6. यह अधि सूचना 14 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

(अंकुर गर्ग)
आयुक्त (मूल्य सवंर्धित कर)

सं.फा. 5(54)/पॉलिसी/वैट/2013/पार्ट फा./491-502 दिनांकः 24/03/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल के निजी सचिव, राज निवास, दिल्ली–54
2 सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।

Scanned by TapScanner

3 सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

4 समस्त विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली।

5 अतिरिक्त आयुक्त, (पीआर), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

6 उप–मुख्य, प्रोटोकॉल (पी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोटोकॉल–।। अनुभाग, ए कमरा नं0 1095, बी–विंग, जवाहर लाल नेहरु भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001

7 पंजीयक, बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

8 प्रेसिडेंट/सचिव, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन (पंजीकृत), व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

9 सिस्टम एनॉलिस्ट (ईडीपी), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

10 निजी सचिव, आयुक्त, मूल्य सवंर्धित कर, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

11 ई–मेल आईडी gadegazette.delhi@gov.in(स्कैन्ड एवं शब्द प्रारुप में हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपी)

12 गार्ड फाइल।

विवेक

(विवेक मित्तल)
सहायक आयुक्त (नीति)

Scanned by TapScanner